


नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
63-21	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पत्रिका है। अतः पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
30.4.21	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।</p>	
18.5.21	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पत्रिका है। अतः पत्रावली दिनांक 29.5.21 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
29 ⁶ / ₂₁	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29⁶/₂₁ को पेश हो।</p>	
22 ¹¹ / ₂₁	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अभियान 2021 के लिए ग्राम पंचायत की शिक्षा से पेश हुई। अप्रार्थीगण के लम्बे बाद तामिल लोक प्रार्थना द्वारा तहसीलदार माण्डल परिवारद्वारा परिवार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रेषक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार लोक जम्बर से कम है।</p>	
	<p>डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021</p>	

प्राथमिक उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

प्राथमिक अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

320

क्रमा संख्या :- 17/20 प्र/अ/17

श्री शैलानसिंह शं. तेजसिंह बागपूर निवासी सिडियास तहसील मांडल

--प्रार्थी

बनाम श्री शं. शैलानसिंह गुर्जर निवासी सिडियास तहसील-मांडल (कौरा)
--विपक्षीगण (प्रहोक्ति प्र. पत्र (क.प.))

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 22-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
वेदन किया कि ग्राम सिडियास पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल/में उसके
खेते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 1530749, 750, 751 कुल किता 05
रकबा 07 बीघा हेक्टेयर 10 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
प्रदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28-8-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश
होता है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
सबदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिडियास
पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1530749, 750, 751
752 कुल किता 05 रकबा 07 बीघा हेक्टेयर 10
भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक र. शैलानपुरा को 800/-
रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी मांडल
भीलवाड़ा जिला

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करने पर निवेदन नुसार पत्थरगद्दी की
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021